कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 05 /FP/UK/ROAD/29710/2017 :देहरादून:दिनांकः 01 जून, 2021 जुलाई

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा—नखोलियाणा पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,, देहरादून का पत्र सं0—08बी/यू0सी0पी0/06/75/2018/एफ0सी0/1385, दिनांक 23—09—2019.

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्गित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 4955/12—1 दिनांक 22—05—2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम—तोणजी एवं विशाल में कुल 6.02 हे0 भूमि क्षतिपूकर वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या 3293 /छब्बीस—14 (2020—2021) दिनांक 30.01.2021 द्वारा हस्तान्तरित की गयी है। (संलग्नक—1)
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/17 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 20,29,848.00 तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 19,77,570.00 कुल 40,07,418.00 ऑनलाईन चालान द्वारा जमा की गई है। (संलग्नक—2)
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक—3)
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशियों को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम से जमा किया गया है। (संलग्नक—4)
5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Strip Plantation का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है। शुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या— / FP/UK/ROAD/29710/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 4955/12—1 दिनांक 22—05—2021 के कम में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी ।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।